न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार (आर..ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03 / 3 / 2022

बउनवान

1. महेन्द पुत्र स्व. पन्नी जाति माली
2. दीपचन्द पुत्र स्व. पन्नी जाति माली
3. ईमरती बेवा पन्नी जाति माली
4. खेमचंद पुत्र उमराव जाति माली
5. वीरवती पुत्री उमराव जाति माली
6. रामो पुत्री उमराव जाति माली
7. सुरेश पुत्र प्रभाती पोत्र उमराव जाति माली

निवासीयान भैंसड़ावत तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

..............**प्रार्थीयान**

बनाम

1. हरीमोहन पुत्र उमराव जाति माली
2. भिम्मी पुत्र उमराव जाति माली
3. कला पुत्री उमराव जाति माली

निवासीयान भैंसड़ावत तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

4. तहसीलदार साहब, गोविन्दगढ़ जिला अलवर

.................**अप्रार्थीयान**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0राजस्व अधिनियम

उपस्थित

श्री अमृतलाल सैनी एडवोकेट– प्रार्थीयान

अप्रार्थीयान

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

आदेश

दिनांक 13.07.2024

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 312 व 945 वाके ग्राम भैंसडावत मुताबिक तकसीम के आराजी खसरा नम्बर 1125/312 रकबा 0.1897 है0, 1127/945 रकबा 0.3082 है0 वाके ग्राम भैंसडावत तहसील गोविन्दगढ में प्रार्थीगण के हिस्से व खातेदारी में दर्ज हुई है व आराजी खसरा नम्बर 1126/312, 1128/945 रकबा 0.3082 वाके ग्राम भैंसडावत तहसील गोविन्दगढ में अप्रार्थीगण सं. 1ल03 के हिस्से व खातेदारी में दर्ज हुई है। मुताबिक तकसीम के आराजी खसरा नं 1125/312 रकबा 0.1897 है, 1127/945 रकबा 0.3082 है0 वाके ग्राम भैंसडावत तहसील गोविन्दगढ में प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्जहुआ है। जिसमें अप्रार्थीगण 1 ल0 3 राजीखुशी मौके पर पत्थरगढी नहीं करने दे रहे है। अतः प्रार्थीयान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आराजी खसरा नंबर 1125/312 रकबा 0.1897 है0 1127/945 रकबा 0.3082 है वाके ग्राम भैंसडावत तहसील गोविन्दगढ की पत्थरगढी कराये जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 व 4 उपस्थित हुआ जिसने कोई जवाब पेश नहीं किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी सं 2 व 3 का नाम तर्क करवा लिया गया।

प्रार्थीयान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी हाल संवत् 2069 से 2075 खसरा नक्शा वाके ग्राम भैंसडावत की प्रतिलिपी पेश की है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयान की एक पक्षीय बहस सुनी। बहस पर मनन किया गया। कानूनन प्रार्थीयान अपनी आराजी की पैमाइश करवाकर मुताबिक पैमाइश अपने खर्चे से पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। चूंकि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पन्नी पुत्र उमराव का नाम अंकित है लेकिन प्रार्थना पत्र में पन्नी के स्थान पर महेन्द्र पुत्र स्वर्गीय पन्नी, दीपचन्द पुत्र स्वर्गीय पन्नी, इमरती बेवा पन्नी अंकित किया गया है इसलिए रिकॉर्डेड खातेदार/सहखातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढी करवा सकते है अतः उक्त आराजी में सहखातेदारों का रिकॉर्ड में नाम अभिलिखित होने से यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गोविन्दगढ को आदेश दिए जाते है कि वे आराजी खसरा नंबर 1125/312 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

1897 है0 1127/945 रकबा 0.3082 है0 वाके ग्राम भैंसडावत तहसील गोविन्दगढ की विधि के अनुसार पैमाइश करवाकर मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट प्रार्थीयान के खर्चे पर पत्थरगढी करवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें। आदेश की तहरीर तहसीलदार गोविन्दगढ को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ अलवर

अतः यह आदेश आज दिनांक 13.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर लोकअदालत कैम्प लक्ष्मणगढ में सुनाया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ अलवर